

विचार बिन्दु

मूर्ख आदमी अपने बड़े से बड़े दोष अनदेखा करता है, किन्तु दूसरे के छोटे से छोटे दोष को देखता है। -संस्कृत सूक्ष्म

क्या हैं अखिल भारतीय सेवाओं से जनता को आशाएं-निराशाएं?

रा

ज्यवस्था राजशाही-सामंती हो, अधिनायकवादी हो, लोकतांत्रिक या कैसी भी हो राजकारों के सम्पादन, सतता के लिए स्थाई राज-सेवक तंत्र आवश्यक है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार, उससे पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी और विभिन्न कालों में भिन्न-भिन्न राज्यों की राजव्यवस्था संचालन के लिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के स्थायी त्रै।

आजादी के बाद पूर्वान्तर समकक्ष सेवाओं ईंडियन रिसर्च व पुलिस सेवाओं (ICS, IP) को IAS, IPS नामकरण के साथ चालू रखा गया। इन सेवाओं को भारतीय संविधान की धारा 31(2) में भारतीय प्रशासनिक व पुलिस सेवा नामकरण के साथ शामिल किया गया। इन्हें भारत की संसद द्वारा सुनित माना गया।

1952 में संसद द्वारा पारित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अंतर्गत इन सेवाओं के सुनित एवं केंद्र सरकार को अधिकृत करा हुआ है। कालांतर में अखिल भारतीय वन सेवा का और गठन किया गया। वर्तमान में यही तीन सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं।

आम आदमी का मञ्चवत IAS, IPS अधिकारियों से ज्यादा काम पड़ता है।

जिन क्षेत्रों विभिन्न श्रेणियों के संरक्षित वन क्षेत्र हैं, अभ्यारण है वहाँ के लोगों का और पर्यावरण से जुड़े कारों से प्रभावित लोगों का अधिकारियों से वास्तव पड़ता है।

** भारत ने लोकतांत्रिक आधिकारी राजव्यवस्था अपनाई है। इसमें लोकसभा, विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर बहुमत प्राप्त की या गठबंधन की सरकारों का गठन होता है। मत्रिमंडल सरकार का सर्वोच्च निकाय है। बहुमत सरकार पर अपनी नीतियों के अनुरूप और जनता से किए वायदों की पूर्ति के लिए कानून-नियम-नीतियों बनाने, लागू करने-करवाने का, जनता से व अन्य खातों से प्राप्त धन के सुधूपरयोग का दायित्व है। सरकारें लोकसभा या विधानसभाओं में अपने नीतियों, कर्मचारियों की जाती है कि इन सेवाओं के अधिकारी संविधान, उसके अनुसार निर्मित विधानों, नियमों की पालन करते हुए, पूर्ण निष्ठा, समर्पण, समानता, सक्षमता, राम-द्वेष-धर्म-जाती-किसी धार्मिक-सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक संगठन और स्वयं की व्यक्तिगत भावनाओं से रहित होकर, कार्य करते हुए सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करें। इन सब बातों का अन्य रखते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों का मार्गदर्शन करवाएं।

IAS, IPS अधिकारियों से जनता अपेक्षा करती है कि वे अपने दिवालीं, कारों के निष्पादन करते हुए जनता व उनके प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण आदर सम्पादन से उनके अधार-अधियोगों-सुनितों को सुनों और वर्यास्थव समाधान करें।

मुख्यतः कलेक्टर, एसपी के कार्य कर्ताओं से इन सेवाओं की छवि के बारे में आम आदमी अपने विचार बनाता है। अम आदमी जिला की जाती है कि इन सेवाओं के अधिकारियों में राज्य सरकार को देखता है।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों की सुनिते के लिए तो सभ्याचारी पार्टी के MLA व दूसरे जन प्रतिनिधि, पार्टी के अधिकारी होते हैं। उनकी आवाज तो जिला व उपर तक पहुंच जाती है किन्तु जो विपक्ष के या गैर राजनीतिक लोग होते हैं वे आशा करते हैं कि कलेक्टर एसपी उनकी बात सहानुभूतिपूर्ण रूप के साथ सुनों और समस्याओं का समाधान करने का कार्य।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक नवयुवक एवं कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के नाते उनके पास लोग अपनी समस्याएं, अधियोग लेकर आये और उनको अधिकारियों के पास देखते हैं। इसलिए उनकी अपेक्षा है कि उनकी बातों को विवाद से, ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

इस प्रकार के संजीदा जिला प्रतिनिधि कम होते जा रहे हैं।

पार्टीयों का विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं-उसमें उनका कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं होगा।

एक दूसरे संजीदा विधायक ने एक कलेक्टर से कहा कि विधायक होने के साथ के अधिकारियों के विवाद से ध्यानपूर्वक सुना जाए- नियमों के अनुसार निर्णय करने के लिए अधिकारी



पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बेदला

(NABH प्रमाणित)



सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई

बहुतरीन उपचार एवं उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ आपके लिए हैं तैयार हम



मल्टीस्पेशलिटी सुविधा

जनरल मेडिसिन
विभागप्रसुति एवं
स्त्रीरोग विभाग

अस्थिरोग विभाग




चर्मरोग विभाग



बाल एवं शिशु रोग

जनरल एवं
लेप्रोस्कापिक
सर्जरी विभाग

नेत्र विभाग

वक्ष एवं क्षय
रोग विभागनाक-कान-गला
विभागमनो चिकित्सा
विभाग


सुपरस्पेशलिटी सुविधा



मस्तिष्क रोग विभाग

पीडियाट्रिक
सर्जरी विभाग

हृदयरोग विभाग

मधुमेह, थाइराइड
एवं हार्मोन्स रोग
विभाग

मूत्ररोग विभाग

बर्न एवं प्लास्टिक
सर्जरी विभाग

गुर्दा रोग विभाग



कैंसर विभाग

पेट एवं लीवर
रोग विभाग

ई.ई.जी. | ई.एम.जी. | कलर डोप्लर | सीटी स्केन | एम.आर.आई. | डायलिसिस
सभी तरह की खून एवं मूत्र की जांचे एवं ईको कार्डियोग्राफी की सुविधा | फिजियोथेरेपी की सुविधा



योजनाओं के कैशलेस ईलाज के लिए अधिकृत हॉस्पिटल

24 घण्टे ऐम्बुलेंस
सेवा किफायती ढरों परडे-केयर कीमो थेरेपी एवं
सर्जरी की सुविधाहाइटेक
ऑपरेशन थियेटरसुराजित
आई.सी.यू.उच्च प्रशिक्षित
स्टॉफ

पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल

भीलों का बेदला, सुखेर-पिण्डवाड़ा हाईवे, उदयपुर, राजस्थान - 313001
फोन: 0294-3520000, 9828144314

